अंतर्विष्ट करने वाली निम्नलिखित घोषणा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

केरल राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 84 के उप-नियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूं कि :—

श्री पी.के. कुंजाचन (नाम)

पीस डेन, थीटामल चींगामूर (पता)

जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उस सदन में श्री टी.के.सी. वटूवाला की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

हस्ता./-

स्थान : तिरुवनन्तपुरम (अपठनीय)

तारीख : 16 अगस्त, 1988 रिटर्निंग आफिसर"

[फा.सं. 13(3)/88-विधायी-II]

एम.के. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 22 August, 1988

NOTIFICATION

S. O. 779 (E) :—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name

of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of states in published for general information :—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of Legislative Assembly of Kerala.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, Head with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri P. K. Kunjachan (Name)

Peace Den, Thittamel, Chengannur (Address)

sponsored by Communist Party of India (Marxist) ..... (Name of the recognised/registered political party) has been duly elected fill the vacancy caused in that House by the death of Sri T. K. C. Vaduthala.

Sd/-

(Illigible)
Returning Officer."

Place : Trivandrum,

Date : August 16, 1988.

[F. No. 13 (3) /88-Leg. II]

M. K. RAMASWAMY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 1988/श्रावण 31, 1910
No. 425] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 1988/SRAVANA 31, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

बीमा

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1988

का.आ. 780(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्दों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1874 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्दों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1988 है।

(2) यह मई, 1988 के 19वें दिन प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्दों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 की चौथी अनुसूची में, मद 7 के खण्ड (1) में सारणी के खण्ड (क) में, "पणजी तथा मारमुगांव का शहरी समूह" शब्दों के स्थान पर, "गोवा राज्य का कोई नगर" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 114 (3):बी-88]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने गोवा राज्य के किसी नगर में तैनात भारत के साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को 19 मई, 1988 से समान दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता की मंजूरी का अनुमोदन दे दिया है। तदनुसार, इसको प्रभावी करने के लिए साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्दों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 में 19 मई, 1988 से संशोधन किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भारत के साधारण बीमा निगम के किसी कर्मचारी के हितों पर भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।